# फर्द अहकाम

कालूराम बनाम सरकार

67/2023

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 30/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण अप्रार्थी सं० 2 व D.A की ओर से जवाब पेश किया गया। वास्ते बहस प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 6/8/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) | |
| 6/8/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप० बहस प्रार्थना पत्र 251A सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 27/8/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय) | |
| 27/8/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप. प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र 251A सुनी गई। बहस अप्रार्थी व पत्रावली का गहन अवलोकन करने पर दस्तावेजात अवलोकन प्रार्थना पत्र 251A प्रार्थी की ओर से पेश किया जाकर विस्तृत निर्णय खारिज किया जाकर शामिल पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल पत्रावली बाद नियम से समाप्त होकर दाखिल दफ्तर हो। समाप्त कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, (...) | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

ाठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
ाद संख्या : 62/2023
र्णय दिनांक : 27.08.2024

कालू राम पुत्र भूराराम
डौलू पुत्र छीतर
मोलू राम पुत्र भूराराम
रामस्वरूप पुत्र छीतर
सानिया चौधरी पत्नी गोवर्धन लाल समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम चिरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

रकार जारीये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर 12. सचिव, जयपुर कास प्राधिकरण, जयपुर।

......अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी**

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी म चिरोटा, पटवार हल्का अजयराजपुरा, भू. अभि. नि. क्षे. कलवाडा, तहसील गानेर व जिला जयपुर के खाता संख्या नया 44 पुराना 38 के खसरा नम्बर 120 कबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616/119 कबा 0.4490 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 619/118 रकबा 0.0060 हैक्टेयर कुल किता र कुल रकबा 0.5150 हैक्टेयर में प्रार्थीगण रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं उपरोक्त खातेदारी कृषि भूमि पर सहखातेदारों द्वारा अपने हिस्से अनुसार भूमि पर श्त कर रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.04 टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616/119 रकबा 0. 90 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 619/118 रकबा 0.0060 हैक्टेयर कुल किता चार ल रकबा 0.5150 हैक्टेयर के उत्तर दिशा की तरफ खसरा नम्बर 122 रकबा 0.3500 टेयर स्थित है जिसके लगवा सार्वजनिक आम रास्ता कायम है जिसका सम्पूर्ण तेदार एवं आम जनता पूर्ण रूप से उपयोग करते चले आ रहे हैं खसरा नम्बर 122 ार्थी नम्बर 02 की खातेदारी कृषि भूमि है जिसकी किस्म गैरमुमकिन राह है। प्रार्थीगण खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 कबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 616/119 रकबा 0.4490 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 9/118 रकवा 0.0060 हैक्टेयर कुल किता चार कुल रकबा 0.5150 हैक्टेयर के र में स्थित आम रास्ते का अंकन राजस्व मानचित्र में है। प्रार्थीगण के उत्तर हिस्से उक्त रास्ता तकरीबन 50 फीट दूरी पर स्थित है तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर ने के लिये रास्ता नहीं है इसलिये प्रार्थीगण को कृषि काश्त करने में बाधा उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने के लिये रास्ते की अति
कता है। खसरा नम्बर 122 के उत्तर दिशा में आम रास्ते से तथा अप्रार्थी संख्या
भूमि में से प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने के लिये तकरीबन 50 फीट का
होना अति आवश्यक है प्रार्थीगण की भूमि पर कृषि कार्य एवं उपयोग हेतु आम
की "आवश्यकता है क्योंकि प्रार्थीगण को अन्य कोई रास्ता अपनी भूमि पर आने
लिये नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या छ्व3 (2) त्स्ट. 6/03/च्ज/7
2.03.2012 द्वारा रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर नजदीकी रास्ते से
अन्य खातेदार की भूमि से रास्ता दिलवाने का प्रावधान किया है चूंकि प्रार्थीगण
ा अपनी कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग हेतु उक्त रास्ते की अत्यंत
कता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता राज्य सरकार के परिपत्र एवं राजस्थान
ारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत दिया जाना नितान्त आवश्यक है।
ा उक्त रास्ते से लगवा अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी भूमि से रास्ता
ाने हेतु जो कृषि भूमि अथवा सरकारी दर नीयत है उसे प्रार्थीगण देने के लिये
है। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। प्रार्थीगण को उक्त
की अत्यंत आवश्यकता है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थी को उसकी कृ
ा पर जाने से रोकने के कारण श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना
हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का
पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व
व मानचित्र में अंकन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 02 को पाबन्द किया जाये
प्रार्थीगण के आने जाने के रास्ते में कोई बाधा कारित नहीं करे। अन्य हितकर
ा जो श्रीमान् उचित समझे फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी
ाये। अप्रार्थी 2 जेडीए जयपुर की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल सैनी
त, प्रार्थना पत्र धारा 251 ए की प्रति दिलाई जाकर पत्रावली वास्ते जवाब
जयपुर एवं तहसीलदार सांगानेर हेतु नियत की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की
ा प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र 251 ए का जवाब पेश किया जो
ी में संलग्न है।

बहस उभयपक्षकारान पत्रावली में सुनी गई। बहस उभयपक्षकारान एवं
गण की ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का
पत्र 251 ए खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

( [illegible] )
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:53 IST
Reason: SelfAttested